GOSSNER EVANGELICAL – LUTHERAN CHURCH
IN CHOTANAGPUR AND ASSAM

GELC ARCHIVE

Call Number: **GELC-A _ 001 _ 1292**

Classification:

Original File No:

Title

GEL CHURCH PENSION FUND RULES_2000

Volume:

Running **from year:** **till year:**

Content:

- **The GEL Church Pension Fund Rulesas approved by the Church Council Meeting (17/18.07.1980) was ammended and approved by the Central Council of GELC in its meeting(16/20.05.2000)**

जी॰ ई॰ एल॰ चर्च संशोधित पेंशन नियमावली

*The **G. E. L. Church** Pension Fund Rules as approved by the Church Council meeting dt. 17-18 July 1980 was amended and approved by the Central Council of **G. E. L. Church** in its meeting held on May 16-20, 2000 in HRDC, Ranchi.*

The revised/amended rules was enforced with effect from 01-04-2000.

(John Bodra)
General Secretary

जी॰ ई॰ एल॰ चर्च संशोधित पेंशन नियमावली

*The **G. E. L. Church** Pension Fund Rules as approved by the Church Council meeting dt. 17-18 July 1980 was amended and approved by the Central Council of **G. E. L. Church** in its meeting held on May 16-20, 2000 in HRDC, Ranchi.*

The revised/amended rules was enforced with effect from 01-04-2000.

(John Bodra)
General Secretary

भूमिका

वर्त्तमान के पेंशन फण्ड नियमों के संशोधन निमित्त जिन तीन जनों (1) श्रीमती एन॰ सोके (2) श्री ए॰ के॰ मिश्रा (3) पाद्री जे संगा, की जो पेंशन फण्ड संशोधन समिति बनी और जिनको संशोधन का कार्य सौंपा गया था उसने 6.12.1998 और 10.2.1999 के बीच इस कार्य का संपादन किया। एक बात का उल्लेख आवश्यक है कि श्री ए॰ के॰ मिश्रा सूचना देने के बावजूद लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे, अतः दो ही सदस्यों - श्रीमती एन॰ सोके और पाद्री जे॰ संगा द्वारा ही यह कार्य संपादित हुआ।

इसलिए क्योंकि इन नियमों के नामकरण ही में ''पास्टर'' शब्द के बदले'' कर्मचारी'' शब्द का उपयोग हुआ, सभी जगह आवश्यकतानुसार, ''पास्टर'' शब्द के जगह ''कर्मचारी'' शब्द का उपयोग हुआ और यह पुरूष और महिला जो भी कलीसिया की सेवा में कार्यरत है, को बोध करता है।

नियम 4 (अ) के साथ उपधारा (ब) जोड़ा गया है ताकि कलीसिया के अधिकारियों को सुविधा हो और पेंशन देन जल्द केन्द्रीय कार्यालय में जमा हो सके।

अवयस्क बच्चों के हित को ध्यान में रखकर नियम 11 में परिवार, पेंशन का प्रावधान है, जो बच्चों के माँ-बाप की मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चों के हित में लागू हों।

अनावश्यक समझकर नियम 11 का (सी) और नियम 12 हटा दिये गये ।

वर्त्तमान नियमों के अलावे कुछ नये नियम और उपनियम कलीसिया और पेंशनभोगियों की मांग के अनुकूल जोड़े गये हैं। अस्पष्टता और संभ्राति को दूर करने के निमित्त कुछ नियमों का विस्तार किया गया है।

कलीसिया की रूचि वृद्धि के उद्देश्य से उप नियम (1) और उपनियम (12) और (13) को केन्द्रीय परिषद को परिवार पेन्सन देने में सुविधा प्रदान करने हेतु जोड़ा गया है।

इसलिये क्योंकि पेंशन (प्रावधान) भविष्य में सुरक्षा का प्रावधान है, अदालत एवं कलीसिया के बन्धन से इसे मुक्त रखना आवश्यक है। अतः बन्धन से मुक्त रखने के उद्देश्य से नियम 14 को इस प्रारूप में जोड़ा गया है।

यह प्रारूप संशोधन के पश्चात आवश्यक कार्यवाही के निमित्त सौंपा जाता है।

संशोधन प्रारूप (ड्राफ्ट)

जी॰ई॰एल॰चर्च पेंशन फण्ड नियम 11

(17, 18 जुलाई 1980 को चर्च कौसिंल की बैठक में स्वीकृत)

01) फण्ड का नाम : फण्ड का नाम ''जी॰ई॰एल॰ चर्च कर्मचारी पेंशन फण्ड''

02) फण्ड का उद्देश्य : इसके नियम के आधार पर कर्मचारी और उसके आश्रितों को भविष्य में सुरक्षा देना।

03) श्रेणी : निम्न श्रेणी के पेंशन उपलब्ध होंगे :-

(अ) एक मुश्त पेंशन

(ब) नियमित पेंशन

(स) कर्मचारी परिवार पेंशन

04) पेंशन फण्ड के श्रोत :-

(अ) (1) कर्मचारी का अपना मासिक देन आधार वेतन का प्रति रूपया 5 पैसे

(2) कर्मचारी को वेतन देने वाली संस्था का मासिक देन-कर्मचारी के आधार वेतन के मासिक वेतन का प्रति रूपया 5 पैसे

(ब) शासन अधिकारी अथवा वेतन देने वाले अधिकारी की यह

जिम्मेवारी होगी कि कर्मचारी का देन उनके वेतन से काट कर जैसा अ (1) और (2) में उल्लेखित है केन्द्रीय कार्यालय को भेजे।

(स) बाह्य संस्था से प्राप्त विशेष निर्धारित देन

(द) बैंक में रखे गये रकम से प्राप्त सूद।

05) फण्ड का संचालन।

इस फण्ड के नाम से प्राप्त रकम एक अलग बैंक खाता में "पेंशन फण्ड" के नाम से जमा किया जाएगा। इस फण्ड का हिसाब-किताब रखने एवं इस फण्ड से निकालकर पेंशन भोगियों को देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय परिषद की होगी। इस फण्ड का रकम किसी अन्य में ऋण के रूप में भी खर्च नहीं किया जाएगा।

06) एक मुश्त पेंशन देने की व्यवस्था।

ऐसे चर्च कर्मचारी जिन्होंने एक वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम कलीसिया में सेवा की हों (एक से नौ वर्षों की सेवा अवधि के लिए) एक बार पेंशन के हकदार होंगे।

07) एक बार पेंशन प्राप्तव्य रकम।

एक बार पेंशन प्राप्तव्य रकम अंतिम आधार वेतन को जितने वर्ष सेवा की गई हो उससे गुणा करने से जो निकले वह रकम होगा।

08) नियमित पेंशन के प्रावधान।

(अ) कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि तक सेवा कार्य देकर निवृत हों, किन्तु यदि वह किसी अन्य संस्था की सेवा कर लाभान्वित हों तो उन्हें मात्र उनका निजी रकम वापस कर दिया जाएगा। अथवा

(ब) कर्मचारी कलीसिया में 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर

सेवानिवृत हो, अथवा

(स) कर्मचारी अपनी बीमारी के कारण किसी अधिकृत डाक्टर के द्वारा आगे सेवकाई करने के लिए अयोग्य प्रमाणित किया गया हो,

09) नियमित पेंशन में प्राप्तव्य रकम।

नियम 8 के अर्न्तगत कर्मचारी को आजीवन पेंशन प्राप्त होगा। कलीसिया में उससे लगातार प्राप्त सेवा वर्षो की संख्या पर और 30 जोड़ कर पेंशन का प्रतिशत रकम निर्धारित होगा। कलीसिया में सेवकाई के क्रम में उनका जो अन्तिम आधार वेतन होगा उस पर यह प्रतिशत लागू होगा।

उदाहरण :-

किसी व्यक्ति ने लगातार 36 वर्ष की सेवा की हो और उसका अन्तिम आधार वेतन 2000 हो :-

पेंशन प्रतिशत	-	सेवा अवधि + 30
	-	36+30 - 66 प्रतिशत
पेंशन रकम	-	66 प्रतिशत X 2000
	-	66/100 X 2000
	-	1320/- रू० प्रति माह

10) परिवार पेंशन का प्रावधान।

(अ) यदि नियमित पेंशन पाने वाले अथवा वाली की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी अथवा पति को उसके पेंशन का आधा रकम माहवारी पेंशन के रूप में मिलेगा। यह रकम उनके मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने तक जो भी पहले हो प्राप्त होगा।

(ब) यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृति अवधि के पहले पेंशन पाये बिना मर गया और नियमित पेंशन का हकदार हो

तो उसे उसके द्वारा जमा किया हुआ पूरा रकम अथवा (30000 रू०) जो भी कम हो परिवार पेंशन के हकदार को अनुग्रहपूर्वक (Ex-Gratia) भुगतान और जो भी रकम कर्मचारी को प्राप्त होता उसका आधार परिवार पेंशन के नाम से दिया जाएगा।

उदाहरण :-

किसी व्यक्ति "वाई" ने 1.1.70 को सेवा आरम्भ किया और 20.2.1998 को उसकी मृत्यु हुई जबकि उनका आधार वेतन माहवारी 2000/- रू० रहा रकम 27+30-57 प्रतिशत-2000/-रू० का 57 प्रतिशत-1140/- रू० प्रतिमाह होता, अतः परिवार पेन्सन 1140/- रू० का आधा 570/-रू० प्रतिमाह होगा।

(स) यदि कोई कर्मचारी जो एक बार पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो पेंशन रकम पाने के पहले मर जाता हो तो वह रकम उसकी पत्नी अथवा पति अथवा बच्चों को दिया जाएगा।

(द) परिवार पेंशन देना कर्मचारी अथवा वेतनभोगी के मृत्यु तारीख से आरम्भ होगा।

11) परिवार पेंशन पाने वालों की प्राथमिकता इस प्रकार होगी :-

(1) कर्मचारी (पत्नी अथवा पति) के विवाहित जोड़े को

(2) उपरोक्त व्यक्तियों के पुर्नविवाह कर लेने अथवा मृत्यु हो जाने पर बच्चों को 25 वर्ष की उम्र तक अथवा काम पकड़ने तक जो भी पहले हो। शादी हुई लड़कियाँ परिवार पेंशन के हकदार नहीं होगी। बच्चों को परिवार पेंशन की रकम मंडली के संचालक प्रचारक अथवा पादी के मारफत बराबर-बराबर दिया जाएगा।

यदि अनेक नाबालिग बच्चे हो तो उनके गार्जियन के मारफत उन्हें बराबर-बराबर 18 वर्ष की आयु तक

दिया जाएगा।

नोट : परिवार पेंशन कर्मचारी के मृत्युपरान्त जन्मे बच्चों अथवा सेवानिवृत होने के पश्चात विचारणीय अवधि के अंतर्गत जन्में बच्चों को भी प्राप्त होगा।

12) पेंशन देने की विधि:-

साधारणतः नियमित पेन्सन मनीऑर्डर से भेज दिया जायगा। जो केन्द्रीय परिषद के मुख्य लेखापाल द्वारा महिना का प्रथम पखवारा में भेजेंगे। स्थानीय पेंशनरों एवं उनके अधिकृतों को केन्द्रीय कार्यालय में ही दिया जाएगा।

13) पास्टर एवं कर्मचारी जो पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे।

(अ) पाद्रीगण पदाभिषेक पाने के पूर्व पाद्रीगण और कर्मचारी जो और किसी अन्य श्रोत से पेंशन पा रहे हों।

(ब) ऐसे कर्मचारी जो किसी दूसरी कलीसिया की सेवा निमित्त भेजे गए हों और उस कलीसिया से पेंशन पा रहे हों, वे जब गोस्सनर कलीसिया की सेवा में लौटे गये हो तो जी०ई०एल० कलीसिया से अनुपातिक पेन्सन पाऐंगे परन्तु दोनों रकम मिल कर उस रकम से अधिक नहीं होगा जो उन्हें तब प्राप्तव्य होता जब वे दूसरी कलीसिया की सेवा में न भेजे जाकर जी०ई०एल० कलीसिया से पेंशन पाते।

ऐसे पेंशन पाने वालों के संबंध में जिस कलीसिया में सेवा निमित्त भेजे गए वहां की सेवा अवधि और गोस्सनर कलीसिया की सेवा अवधि दोनों मिलाकर जो कुल अवधि होगी उसके अनुसार जो पेंशन रकम प्राप्तव्य हो उससे जो रकम दूसरी कलीसिया देती है उसको घटाने से जो रकम निकले वह जी०ई०एल० चर्च से प्राप्तव्य पेंशन रकम होगा।

उपरोक्त सुविधाएं नियमों के प्रावधान अनुसार प्राप्तव्य होंगी।

14) पेंशन एवं परिवार पेंशन किसी प्रकार से सरकारी अदालत से अथवा कलीसिया से प्राप्तव्य किसी अन्य रकम से संलग्न नहीं होगा।

15) नियमों का संशोधन जोड़ अथवा घटाव :-

नियमों का संशोधन जोड़ अथवा घटाव का अधिकार केन्द्रीय परिषद को है। इसके लिए कुल सदस्यों के दो तिहाई की उपस्थिति पर ही कोरम माना जाएगा।

16) ये संशोधन नियम 1.4.2000 से लागू होंगे।

<u>उपनियम</u>

01) (अ) किसी भी प्रकार का पेंशन कर्मचारी को देने का आरम्भ तब तक नहीं होगा जब तक वह कलीसिया के मकान को खाली नहीं करता है।

(ब) वह अपने पदभार का जिम्मा नहीं करता है।

(स) संबंधित व्यक्तियों से इस बात का प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो कि उसकी ओर से और कुछ देय नहीं है।

संबंधित अधिकारी अपने अधिनस्थ कर्मचारी के संबंध में किसी प्रकार की गलतियों अथवा गलत सूचना देने के प्रति जिम्मेदार होंगे। उन्हें पेंशन के आवेदन पर अच्छी तरह जाँच कर लेने के पश्चात ही हस्ताक्षर कर उसे पेंशन देने वालों के कार्यालय में प्रेषित करना है। पेंशन आवेदन उपयुक्त अधिकारी के मारफत ही केन्द्रीय परिषद के कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक होगा।

02) पेंशन के संबंध में सेवा अवधि का आरम्भ तब से माना जाएगा जब से कर्मचारी किसी निश्चित कार्य पर बहाल होते हैं और पेंशन के लिए अपना निजी देन देना आरम्भ करते हैं।

03) कर्मचारी जो नियमित रूप से नियमित पेंशन के लिए अपना देन नहीं चुकाते हैं वे पेंशन पाने के हकदार नहीं

होंगे, ऐसी परिस्थिति में उन्हें उनका दिया हुआ रकम उन्हें लौटा दिया जाएगा।

04) जब कर्मचारी वेतन रहित छुट्टी में हो और उस अवधि में उन्होंने पेंशन के लिए अपना देन नही दिया हो, तो उसकी वह अवधि पेन्सन रकम निर्धारित करने के क्रम में पूरी सेवा अवधि से घटा दी जाएगी और वर्षो में उसकी निजी बीमारी के कारण से प्राप्त छुट्टी अवधि को मिलाने और न मिलाने का निर्णय केन्द्रीय परिषद पर निर्भर करेगा।

05) कर्मचारी जो अपने काम से इस्तीफा देते है परन्तु बाद में केन्द्रीय परिषद की अनुमति से फिर काम पकड़ते है, वे पुनः काम पकड़ने के बाद के दिन से पेन्सन के लिए हकदार होंगे, पहले की अवधि के लिए वे अधिकार रहित होंगे।

06) कर्मचारी जो आवश्यकतावश पुनः काम में लगाये गए हों सेवा विस्तार की अवधि में पेंशन नहीं पाऐंगे, सेवा विस्तार अवधि के समाप्त होने पर ही वे पेंशन पाऐंगे।

07) कर्मचारी जो पेंशन पा रहें है और केन्द्रीय परिषद की स्वीकृति से किसी कार्य में लगाये जाते है उनको पेंशन देना तब तक बन्द रहेगा जब तक वे उस कार्य से मुक्त नही हो जाते हैं।

08) कर्मचारी जो किसी यथार्थ कारण से कलीसिया की सजा में रखे गये हों, जब तक सजा में रहते है पेंशन देना बन्द रहेगा परन्तु पुनर्निरीक्षण के बाद बकाया समेत पेंशन फिर दिया जाएगा।

09) कर्मचारी जो अनुशासनिक कार्रवाई द्वारा कलीसिया से निकाल दिये गए हों उन को पेंशन नहीं मिलेगा परन्तु अपना दिया रकम उन्हें वापस दे दिया जाएगा।

10) कर्मचारी जो सेवा करते हुए ही कलीसिया को छोड़ देते

हैं वे पेंशन के हकदार नहीं होंगे, परन्तु उन्हें उनका दिया रकम वापस दे दिया जाएगा।

पेंशन पाते हुए कोई कर्मचारी कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया के अंग हो जाते हैं उनको उसी तारीख से पेंशन देना बन्द हो जाएगा।

11) यदि पेंशन के रकम में रूपया खंडित हो तो उससे ऊपर वाला पूरा रूपया हिसाब में लिया जाएगा।

12) कर्मचारियों के द्वारा अपने परिवार का विवरण घोषित करना होगा। यदि किसी का परिवार ही नहीं हो तो उसे किसी को नामजद करना होगा, परन्तु यह तब स्वतः अमान्य हो जाएगा जब उसका परिवार हो जाता है।

13) यदि कोई कर्मचारी सेवा अवधि एवं सेवा निवृत पर पेंशन उपभोग करने के पूर्व मर जाता है और उसका कोई परिवार नहीं है तो पेंशन उसको मिलेगा जिसको कचहरी से उत्तराधिकार पत्र प्राप्त हो। अन्यथा कुछ महिनों में जिसका निर्णय केन्द्रीय परिषद करेगा के बाद समाप्त हो जाएगा।

14) यदि कोई कर्मचारी निलंबित अवस्था में मर जाता हो तो परिवार पेंशन नियम 10 और 11 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को जिसका निर्णय पेंशन देने वाला अधिकारी स्वयं निर्णय लेकर अथवा पुनर्निरीक्षण कमिटि के सिफारिस पर मानो उनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो, देंगे। परिवार पेन्सन की अवधि का शुरू उसके मृत्यु के दूसरे दिन ही से होगा और उसके निलंबित होने के पूर्व का आधार वेतन ही आधार वेतन माना जाएगा।

15) यदि पेंशन अथवा परिवार पेंशन पाने वाला व्यक्ति सरकारी अदालत द्वारा दंडित हो तो वह व्यक्ति पेंशन नहीं पाएगा परन्तु परिवार पेंशन उपयुक्त व्यक्ति को दिया जाएगा।

16) यदि अधिकारी (अफ्सर) धोखा देने एवं हिसाब-किताब गड़बड़ करने के बाद लापता हो जाता है तो पेंशन अथवा परिवार पेंशन अदालत द्वारा उसके मुक्त किये जाने के पश्चात ही अथवा प्रशासनिक कार्रवाई के अन्त हो जाने पर ही मामला की स्थिति अनुसार पेंशन देना स्वीकृत होगा।

17) यदि विवाहित दम्पति के दोनों सदस्य कलीसिया की सेवा में हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है और दूसरा सेवा कर ही रहा हो, तो वे मृत सदस्य का पेंशन अपने सेवा में रहने के बावजूद प्राप्त करेंगे और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे दोनों के (माँ-बाप) नाम से परिवार पेंशन प्राप्त करेंगे।

18) यदि कोई कर्मचारी सेवा की अवधि में ही मर जाता है तो मृत्यु की सूचना तुरन्त अथवा एक महिने के अन्दर केन्द्रीय परिषद के कार्यालय में पहुँचनी चाहिए। गलती से अधिक रकम भुगतान होने को रोकने के लिए यह कदम लेना आवश्यक है। यदि दो महिनों के अन्दर मृत्यु की सूचना उपयुक्त अधिकारियों के मारफत कार्यालय में नहीं पहुँचती है तो पेंशन पाने का पूरा अधिकार समाप्त हो सकता है।

19) यदि किसी कर्मचारी पेंशन एवं पेंशन फण्ड के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न करता हो तो उसे विशप कौंसिल एवं अफसरों की बैठक में पेश होना है।

ह०/-एन० सोके
सदस्य
पेंशन एवं पी०एफ० समिति

ह०/- पाद्री जे० संगा
कोन-भेनर
पेंशन एवं पी०एफ० समिति

Rs. 10/-

Design & Print : Annapurna, Ranchi • Tel. : 311057, Telefax : 0651-314305